

**प्रत्यक्ष करों पर 2024 का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 13 संसद में प्रस्तुत**

संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों पर मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2024 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 13) 17.12.2024 को संसद में प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन में ₹ 5,728.79 करोड़ के कर प्रभाव के 504 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ शामिल किए गए हैं।

**प्रतिवेदन में प्रस्तुत की गयी महत्वपूर्ण आपत्तियाँ निम्नवत हैं:**

- गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2020-21 में 6.63 करोड़ से बढ़कर वि.व. 2021-22 में 6.72 करोड़ हो गई जबकि निगमित निर्धारितियों की संख्या वि.व. 2020-21 में 9.21 लाख से बढ़कर वि.व. 2021-22 में 9.65 लाख हो गई (पैराग्राफ 1.4.10 और 1.4.11)। आगे, वि.व. 2021-22 में प्रत्यक्ष करों में वि.व. 2020-21 की तुलना में 49.1 प्रतिशत (₹ 4.65 लाख करोड़) की वृद्धि हुई (पैराग्राफ 1.3.1)। तथापि, सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का भाग वि.व. 2020-21 में 46.7 प्रतिशत से बढ़कर वि.व. 2021-22 में 52.1 प्रतिशत हो गया (पैराग्राफ 1.4.1)।
- निगम कर से संग्रहण वि.व. 2020-21 में ₹ 4.58 लाख करोड़ से 55.6 प्रतिशत बढ़कर वि.व. 2021-22 में ₹ 7.12 लाख करोड़ हो गया और आयकर वि.व. 2020-21 में ₹ 4.71 लाख करोड़ से 43.1 प्रतिशत बढ़कर वि.व. 2021-22 में ₹ 6.73 लाख करोड़ हो गया (पैराग्राफ 1.4.3 और 1.4.4)।
- बकाया मांग वि.व. 2020-21 में ₹ 14.94 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2021-22 में ₹ 19.35 लाख करोड़ हो गई। निवल संग्रहणीय मांग वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 26,279 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 51,318 करोड़ हो गई। विभाग ने संकेत दिया कि 97.4 प्रतिशत से अधिक असंग्रहित मांग की वसूली करना कठिन होगा। (पैराग्राफ 1.9.1 और 1.9.2)।
- पिछले तीन वर्षों में, आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताया गए कर निर्धारण में त्रुटियों को सुधारने के लिए उठाई गई मांगों से ₹ 349.03 करोड़ की वसूली की। 31 मार्च 2022 तक, पिछले वर्षों के 55,934 मामले हैं जो लेखापरीक्षा में सामने आए तथा आयकर विभाग से उत्तर के अभाव में 30 अप्रैल 2024 तक असमायोजित रहे (पैराग्राफ 2.4.3 और 2.6)।
- इस प्रतिवेदन में ₹ 5,127.98 करोड़ के कर प्रभाव वाले निगम कर से संबंधित 332 उच्च मूल्य के मामले इंगित किए गए हैं। ये मामले मुख्यतः ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियों,

मूल्यहास/व्यवसायिक हानियों/पूँजीगत हानियों की अनुमति में अनियमितताओं, व्यवसायिक व्यय की गलत अनुमति, बेहिसाबी निवेश/नकद क्रेडिट और आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों आदि से संबंधित था। मंत्रालय/आयकर विभाग ने ₹ 2,003.57 करोड़ के कर प्रभाव वाले 164 मामलों को स्वीकार किया और ₹ 1,612.69 करोड़ के कर प्रभाव वाले 13 मामलों को स्वीकार नहीं किया। तथापि, 332 मामलों में से आयकर विभाग ने ₹ 2,137.94 करोड़ के कर प्रभाव वाले 211 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली है और ₹ 640.11 करोड़ के कर प्रभाव वाले 21 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। शेष 100 मामलों में, आयकर विभाग ने अप्रैल 2024 तक कोई कार्रवाई नहीं की थी (पैराग्राफ 3.1.1)।

- उपरोक्त उद्धृत 332 उच्च मूल्य के मामलों में से, हमने ₹ 3,578.38 करोड़ के कर प्रभाव वाले निगम कर निर्धारणों में महत्वपूर्ण त्रुटियों/अनियमितताओं के 48 दृष्टांतों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस अध्याय में दर्शाई गई अनियमितताओं में सम्मिलित हैं: अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ₹ 23.24 करोड़ के ब्याज का अनुदग्रहण; अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत ₹ 2.73 करोड़ का अधिक ब्याज दिया गया; ₹ 1,173.74 करोड़ के पिछली अग्रानीत हानि के दावे को छोड़ दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 406.21 करोड़ का संभावित कर प्रभावित हुआ; 1 अप्रैल 2015 से पहले अर्जित की गई और उपयोग करने के लिए रखी गई संपत्ति पर ₹ 331.92 करोड़ के अतिरिक्त मूल्यहास के अनुचित दावे की अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 175.99 करोड़ के कम कर उदग्रहण के साथ ₹ 331.92 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया; ₹ 59.73 करोड़ के अतिरिक्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट को अग्रानीत करने की अनुमति दी गई; ₹ 64.37 करोड़ के संभावित कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए ₹ 214.58 करोड़ के व्यय की अनुचित अनुमति दी गई; निर्धारिती को क्रमशः ₹ 1,225.00 करोड़ और ₹ 1,724.00 करोड़ की राशि से ₹ 1,219.98 करोड़ और ₹ 1,624.33 करोड़ को कम करने की अनुमति दी गई जो अन्य कंपनी के साथ किए गए करार के अनुसार डार्क फाइबर के उपयोग करने का अपरिहार्य अधिकार (आईआरयू) के लिए प्राप्त हुए थे, जिसे 20 वर्षों की करार अवधि के दौरान राजस्व का स्थगन माना गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर ₹ 2,844.31 करोड़ का कम कर निर्धारण हुआ, जिसमें ब्याज को छोड़कर ₹ 976.81 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।
- इस प्रतिवेदन में ₹ 601.67 करोड़ के कर प्रभाव वाले आयकर से संबंधित 172 उच्च मूल्य के मामले इंगित किए गए हैं। ये मामले मुख्यतः ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियों,

मूल्यह्रास/व्यवसायिक हानियों/पूँजीगत हानियों की अनुमति में अनियमितताओं, व्यवसायिक व्यय की गलत अनुमति, बेहिसाबी निवेश/नकद क्रेडिट और आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों आदि से संबंधित था। मंत्रालय/आईटीडी ने ₹ 445.36 करोड़ के कर प्रभाव वाले 60 मामलों को स्वीकार किया, और ₹ 3.49 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े तीन मामलों को स्वीकार नहीं किया। इसके अतिरिक्त, 172 मामलों में से, आईटीडी ने ₹ 426.38 करोड़ के कर प्रभाव वाले 151 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली है और ₹ 22.70 करोड़ के कर प्रभाव वाले 10 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की है। शेष आठ मामलों में, आईटीडी ने अप्रैल 2024 तक कोई कार्रवाई नहीं की/शुरू नहीं की थी (पैराग्राफ 4.1.1)।

- उपरोक्त उद्धृत 172 उच्च मूल्य के मामलों में से, ₹ 404.91 करोड़ के कर प्रभाव वाले आयकर निर्धारण में महत्वपूर्ण त्रुटियों/अनियमितताओं के 41 दृष्टांत शामिल हैं। इस अध्याय में वर्णित अनियमितताओं में सम्मिलित हैं: ₹ 367.21 करोड़ के सही आंकड़े के स्थान पर ₹ 247.22 करोड़ की त्रुटिपूर्ण आय के कर निर्धारण को अपनाना, जिसमें ₹ 76.98 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण सम्मिलित है; धारा 148 के अंतर्गत जारी नोटिस का अनुपालन न करने के लिए धारा 234ए(3) के अंतर्गत ब्याज का त्रुटिपूर्ण उद्ग्रहण एवं ₹ 10.62 करोड़ के कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज का अनुचित उद्ग्रहण; ₹ 48.57 करोड़ की पिछली अग्रानीत हानि का अनुचित समायोजन, जिसमें ₹ 22.34 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण सम्मिलित है; ₹ 38.14 करोड़ के मूल्यह्रास का अनुचित अनुमति, जिसमें ₹ 13.20 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सम्मिलित हैं; और पांच वर्षों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर उपयोग न करने के लिए एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की संचित आय का गैर-कराधान, जिसमें ₹ 140.51 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण सम्मिलित है।

**इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन में निम्नलिखित तीन सिफारिशों को भी शामिल किया गया है:**

- (i) कर और अधिभार की गलत दरों का प्रयोग, ब्याज लगाने में त्रुटियाँ, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रण की कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं, जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(ii) जबकि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में सुधार शुरू करने के लिए कार्रवाई की है, यह कहा जा सकता है कि ये केवल कुछ उदाहरणात्मक मामले हैं, जिनकी लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई है। सभी तरह के निर्धारणों में, जिसमें गैर-जांच निर्धारण भी शामिल है, ऐसी चूक या चूक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सीबीडीटी को न केवल वर्ष के दौरान किए गए अपने निर्धारणों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक पूर्णतया सुरक्षित आईटी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी स्थापित करने की आवश्यकता है।

(iii) सीबीडीटी इस बात की जांच करे कि क्या पाई गई "त्रुटियों" के मामले चूक की त्रुटियां हैं या भूल की त्रुटियां हैं और यदि ये भूल की त्रुटियां हैं, तो आयकर विभाग को कानून के अनुसार, जहां लेखापरीक्षा द्वारा स्पष्ट गलतियों को इंगित किया गया है, जिम्मेदारी तय करने सहित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।